न्यायालय सिविल जज (जू0डि0)/जे0एम0, बिधूना, जनपद औरैया।
परिवाद संख्या–296/2024
CNR No. UPAU120012942024

कौशलबाबू पोरवाल बनाम मनोज कुमार
अन्तर्गत धारा–138 एन0आई0 एक्ट
थाना–बिधूना, जिला औरैया।

दिनांक–07.01.2025

पत्रावली आदेशार्थ नियत है। परिवादी के विद्वान अधिवक्ता को विपक्षी की तलबी के बिन्दु पर पूर्व में सुना जा चुका है। पत्रावली का अवलोकन किया।

परिवादी का संक्षेप में कथन है कि अभियुक्त मनोज कुमार ने परिवादी कौशलबाबू पोरवाल से दिनांक 18.02.2019 के खेत खरीदने के लिए 2,50,000/–रुपये उधार लिये। जब काफी समय बाद परिवादी ने विपक्षी से सम्पर्क किया, तो विपक्षी ने पंजाब नेशनल बैंक शाखा, बिधूना, जिला औरैया के खाता संख्या 73340001001171157 की चैक संख्या 904690 मुव0 2,50,000/–रुपये अपने हस्ताक्षर करके परिवादी को प्रदान की। परिवादी ने उक्त चैक को अपने खाता संख्या 50100094795641 एचडीएफसी बैंक, शाखा बिधूना में भुगतान हेतु जमा किया, तो उक्त चैक अनादरित हो गयी। असल चैक व असल मैमो परिवाद पत्र के साथ संलग्न है। परिवादी द्वारा दिनांक 07.06.2024 को अपने अधिवक्ता के माध्यम से विपक्षी को नोटिस प्रेषित किया गया, जो अभियुक्त को प्राप्त हुआ। इस सम्बन्ध में नेट के माध्यम से प्राप्त कम्प्यूटराज्ड Track Consingnment की प्रति संलग्न है। विपक्षी का यह कृत्य धारा 138 एन.आई. एक्ट के तहत अपराध की परिधि में आता है। अतः विपक्षी को उपरोक्त अपराध में तलब करने की कृपा करें।

परिवादी द्वारा परिवाद पत्र के समर्थन में प्रलेखीय साक्ष्य के रुप में स्वयं का शपथ पत्र, मूल चैक, चैक वापसी का ज्ञापन/मैमोरेण्डम, मूल रजिस्ट्री रसीद, रजिस्टर्ड नोटिस दिनांकित 07.06.2024 दाखिल किये गये हैं।

परिवाद कथानक के समर्थन में परिवादी ने स्वयं को जरिये धारा 200 दं0प्र0सं0 के अन्तर्गत शपथ पत्र के माध्यम से परीक्षित कराया गया, जिसमें उसने परिवाद कथानक का समर्थन किया है। विपक्षी द्वारा दी गयी उक्त चैक को परिवादी द्वारा बैंक में भुगतान हेतु लगाने के बाद बैंक द्वारा दिनांक 01.06.2024 को वापस कर दी गयी तथा चैक अनादरित हो गयी। परिवादी द्वारा विपक्षी को दिनांक 07.06.2024 को लीगल नोटिस भेजी गयी। परिवादी द्वारा उक्त परिवाद समय सीमा के अन्तर्गत दिनांक 04.07.2024 को संस्थित किया गया। इस प्रकार पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर प्रथम दृष्टया विपक्षी मनोज कुमार के विरूद्ध धारा 138 एन0आई0 एक्ट का अपराध बनना प्रतीत होता है। अतः उपरोक्त विवेचना के आधार पर विपक्षी मनोज कुमार को अन्तर्गत धारा–138 एन0आई0 एक्ट के अपराध के विचारण हेतु तलब किये जाने योग्य है।

आदेश

अभियुक्त **मनोज कुमार** को अन्तर्गत धारा 138 पराक्राम्य लिखित अधिनियम के अपराध के विचारण हेतु तलब किया जाता है। अभियुक्त को सम्मन जारी हो। परिवादी पैरवी अविलम्ब करे। पत्रावली वास्ते हाजिरी दिनांक 07.02.2025 को पेश हो।

(प्रवीण सिंह)
सिविल जज (जू0डि0)/न्यायिक मजिस्ट्रेट
बिधूना, औरैया।
J.O. Code: UP 3441

Digitally signed by PRAVEEN SINGH
Date: 2025.01.07 16:39:43 IST
Reason: Order
Location: CJJD/Jm Outlying Court, Bidhuna